यह निरीक्षण आख्या **अधिशासी अभियंता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मुनिकीरेती, टिहरी (ऋषिकेश)** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

अधिशासी अभियंता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मुनिकीरेती, टिहरी (ऋषिकेश) के अवधि 04/2014 से 03/2016 तक के लेखा–अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री रामवीर सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री दीपेश कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री सलीम खान, वरि. लेखापरीक्षक द्वारा श्री सुनील कल्ला, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 15.09.2016 से 27.09.2016 के मध्य संपादित लेखापरीक्षा पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

भाग–प्रथम

(अ) परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री भानु प्रताप सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री महेश चंद, पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 25.07.2014 से 06.08.2014 तक श्री महेन्द्र तिवारी, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पन्न की गयी। जिसमें माह 04/2011 से 10/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

वर्तमान में माह 04/2014 से 03/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

उक्त अवधि में निम्न अधिकारियों ने कार्यायाध्यक्ष/अधिशासी अभियंता/लेखाधिकारी का पदभार संभाले रखा :

1. श्री इमरान अहमद, अधिशासी अभियन्ता दिनांक 09.08.12 से वर्तमान तक

ब. विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अद्यतन स्थिति :

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/वर्ष	प्रस्तर संख्या	
	भाग–2 अ	भाग–2 ब
41/2001–02	1, 2, 3	1
35/2002–03	1, 2, 3	1
37/2004–05	.....	1, 2
12/2006–07	1, 2	1, 2, 3
13/2007–08	1	1, 2
15/2011–12	.....	2
56/2014–15	.....	1

स. सतत् अनियमितताऐं – शून्य

द. अप्रस्तुत अभिलेख (कारण सहित) – शून्य

बजट :

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	स्थापना		गैर–स्थापना		सर्मपण/अवशेष	
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आयोजनेत्तर	आयोजनागत
2013–14	2155.68	1905.28	253.83	249.89	.....	.....
2014–15	2619.12	2162.61	377.94	343.66	.....	.....
2015–16	2100.00	2006.99	358.83	296.76	.....	.....

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर 1 : विभाग की चूक के कारण ` 1.38 लाख का कर्मचारियों को दिये जाने वाले नियोक्ता अंशदान के लाभ से वंचित रहना।

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जिन अधिकारी/कर्मचारियों की नियुक्ति अक्टूबर 2005 के बाद हुई है, उनके वेतन से वेतन+ग्रेड वेतन+भत्ता से 10 प्रतिशत की दर से अंशदान की कटौती नियुक्ति तिथि के अगले माह से अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। योजना के प्रावधानों के अनुसार काटी गयी अंशदान के बराबर धनराशि नियोक्ता द्वारा अंशदान के रूप में दिये जाने का प्रावधान है।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, पेयजल निगम, निर्माण शाखा, मुनि की रेती, टिहरी के अंशदायी पेंशन योजना से सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया कि इकाई में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों के वेतन से अंशदान की कटौती उनकी नियुक्ति के अगले माह से न कर के 09 माह से 33 माह विलम्ब से की गयी थी । जिस कारण नियोक्ता द्वारा दिया जाने वाला अभिदान (अंशदान) भी विलम्ब से काटा गया था। विभाग की इस चूक के कारण कार्यरत कर्मचारी अभिदान/अंशदान की धनराशि/लाभ से वंचित रह गये। अतः कुल ` 1.38 लाख की अंशदान धनराशि इन कर्मचारियों को नहीं मिली। (विवरण संलग्न)।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा आपत्ति स्वीकारते हुये बताया कि PRAN देर से मिलने के कारण कटौती विलंब से की गयी।

अतः विभाग की चूक के कारण ` 1.38 लाख का कर्मचारियों को दिये जाने वाले नियोक्ता अंशदान के लाभ से वंचित रहने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

क्र.सं.	नाम/पदनाम	अंशदान की कटौती की वर्ष	वेतन+ग्रेड वेतन	भत्ता % DA		वेतन+ग्रेड वेतन+भत्ते का 10 प्रतिशत	M	
1	श्री सुबोध प्रसाद (कनिष्ठ अभियंता)	3/2013 30/06/2013	14140+4600+	80%	14492	3323	4	13292
		1/7/213	14140+4600	90%	16866	3560	1	3560
		1/1/2014 30/6/2014	14710+4600	100%	19310	3862	6	23172
		1/7/2014	14710+4600	107%	20661	3997	1	3997
							(A)	**44021**
2	श्री हरीश चन्द्र रावत (कनिष्ठ अभियंता)	12/2012	7260+2000	72%	6667	1593	1	1593
		1/2013 30/6/2013	7260+2000	80%	7408	1667	6	10002
		1/7/2013 30/8/2013	7540+2000	90%	8586	1813	2	3626
							(B)	**15221**
3	श्री खाब सिंह (चौकीदार	10/2009 31/12/2009	6840+1800	27%	2333	1097	3	3291
		1/1/2010 30/6/2010	6840+1800	35%	3024	1166	6	6996
		1/7/2010 31/12/2010	7100+1800	45%	4005	1290	6	7740
		1/1/2011 30/6/2011	7100+1800	57%	4539	1344	6	8064
		1/7/2011 31/12/2011	7370+1800	58%	5319	1449	6	8694
		1/1/2012 30/6/2012	7370+1800	65%	5960	1513	6	9078
							(C)	**59084**
4	श्रीमती कमली देवी (चौकीदार)	2/2013 30/6/2013	5860+1800	80%	6128	1379	**5**	**6895**
		1/7/2013 31/12/2013	6090+1800	90%	7101	1499	6	8994
		1/1/2014 31/3/2014	6090+1800	100%	7890	1578	3	4734

						(D)	**2062**

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर 2 : ` 1592.34 लाख व्यय होने के पश्चात भी याजना अपूर्ण तथा योजना के लाभ से वंचित रहना।

अधिशासी अभियंता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, मुनि की रेती, ऋषिकेश की राज्य सेक्टर नगरीय/जलोत्सारण कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद टिहरी की नरेन्द्रनगर पंम्पिग पेयजल योजना के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि शासनादेश संख्या : उन्तीस (2)/11–2 (45पे.)/2010 दिनांक 02.02.2011 के द्वारा योजना की अनुमानित लागत ` 2816.97 लाख के सापेक्ष ` 2126.67 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष अवमुक्त की गई धनराशि का विवरण निम्नवत् है :

पत्रांक	**दिनांक**	**अवमुक्त धनराशि (` लाख में)**
उन्तीस (2/11–2 (45पे.)/2010	02.02.2011	150.00
833 नियोजन अनु./धन अवमुक्त/193	07.03.2013	440.00
1809 नियोजन अनु./धन अवमुक्त/491	26.11.2014	770.00
जिला योजना से		287.09
कुल योग		**1664.09**

उपरोक्त से स्पष्ट है कि वर्ष 2011 से वर्ष 2014 तक कुल ` 1664.09 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। उक्त शासनादेश में यह भी निर्देशित किया गया था कि कार्य को तीन वर्षों में अर्थात् वर्ष 2013–14 तक पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

लेखापरीक्षा के दौरान पाया कि कार्य पर कुल ` 1592.34 लाख का व्यय किया गया था एवं निर्माण कार्य लेखापरीक्षा तिथि से तीन वर्ष अधिक व्यतीत होने के पश्चात भी योजना न केवल अपूर्ण थी बल्कि इस योजना के लाभ से लाभार्थी भी वंचित रह गए।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया कि योजना के अंतर्गत स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष ` 1664.09 लाख की धनराशि आवंटित/प्राप्त हुई है जिसमें से अन्तिम किस्त माह 11/2014 में प्राप्त हुई है जिससे की कार्य पूर्ण नहीं हुए हैं। समय–समय पर मुख्यालय को धनावंटन के लिए अनुरोध किया गया।

अतः ` 1592.34 लाख व्यय होने के पश्चात् भी कार्य पूर्ण तिथि से तीन वर्ष अधिक व्यतीत होने के पश्चात् भी योजना अपूर्ण रहने का तथा लाभार्थी का इस लाभ से वंचित रहने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 ब

प्रस्तर 3 : ` 11.14 लाख श्रम उपकर की वसूली नहीं किया जाना ।

श्रम आयुक्त/सचिव, उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, श्रम भवन, हल्द्वानी के पत्र संख्याः 1861/छः–24–बी0ए0ओ0सी0/2010 दिनांक 15 जून 2012 के प्रावधानों के अनुसार विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यो जिसमें सरकारी एवं अर्द्धसरकारी विभागों द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्य भी सम्मिलित है में नियोजित श्रमिकों को हितलाभ दिये जाने का प्रावधान है। इस हेतु उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। निर्माण श्रमिकों को देय हितलाभ बोर्ड की कल्याण निधि से दिये जाएगें। बोर्ड की कल्याण निधि में धन की व्यवस्था हेतु भवन एवं अन्य सन्निर्माण कल्याण उपकर अधिनियम 1996 एवं केन्द्र सरकार द्वारा बनायी गयी उपकर नियमावली 1998 के अन्तर्गत निर्माण लागत का एक प्रतिशत उपकर के रुप में संग्रह करके संग्रहित धनराशि बैंक डाफट के माध्यम से श्रम भवन हल्द्वानी प्रेषित किया जाएगा। इकाई की विस्तृत लेखापरीक्षा हेतु **प्राप्तियों की जांच मे** चयनित माह 08/2014 एवं **4/2014 से 12/2014 तक** की रोकड बही तथा निर्माण कार्यो हेतु भुगतानित देयकों एवं **उपलब्ध व्यय विवरण** की जॉच में पाया गया कि **उपकर की वसूली नहीं की गयी थी ।** विवरण निम्नवत् है;

माह	व्यय लाख मे	उपकर ` मे (व्यय का एक प्रतिशत)
4/2014	43.75	43750
5/2014	36.45	36450
6/2014	6.71	6710
7/2014	211.90	211900
8/2014	205.22	205220
09/2014	151.54	151540

10/2014	206.11	206110
11/2014	130.61	130610
12/2014	122.18	122180
	कुल उपकर रु	11,14,470=00

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने अपने उत्तर मे बताया कि माह 1/2015 से नियमानुसार श्रम उपकर की वसूली की गयी है परंतु 4/2014 से 12/2014 तक वसूली नहीं करने के संदर्भ मे विभाग द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया है । अत; रु 11.14 लाख श्रम उपकर की वसूली नहीं किए जाने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संजान मे लाया जाता है ।

भाग–तीन

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततायें, जिनका समाधान/निराकरण लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं किया जा सका है, उन्हें पृथक रूप से नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर अलग से **अधिशासी अभियंता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मुनिकीरेती, टिहरी (ऋषिकेश)** को इस आशय से प्रेषित की गयी की वे लेखापरीक्षा टिप्पणी की प्राप्ति के एक माह के अन्दर उसकी अनुपालन आख्या सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, सी–1/105 वैभव पैलेस, इन्दिरानगर, देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
सामाजिक क्षेत्र